राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार--2018

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः–6/2018
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

1. पवन कुमार पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
2. प्रवीण कुमार पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
3. हरिराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
4. साहबराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
5. जगदीश पुत्र पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
6. लालचन्द पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
7. सरस्वती पत्नी निक्कूराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

–अप्रार्थी

उपस्थितः– 1. श्री महेश गौड अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः–31.5.2018

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के नाम से चक नं. 3 एमएसटीएसएम जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 61 में जरिये इन्तकाल नं. 411 दिनांक 31.7.2017 द्वारा प.नं.186/339 मु.नं. 30 कि.नं. 2/.015,9/.015,12/.015,17/.006,18/.015,19/.014, कुल 0.080 है. भूमि के दर्ज रिकार्ड हिस्सेदारान खातेदार अंकित हुए। जमाबन्दी नकल प्रार्थना–पत्र के संलग्न है।

प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित भूमि में से प.नं.186/339 मु.नं. 30 कि.नं. 2/.015,9/.015,12/.015,17/.006,18/.015,19/.014, कुल 0.080 है. भूमि वर्तमान में रास्ते के काम में आ रही है तथा मौके पर रास्ता चालू है। खातेदार स्वयं अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता की भूमि का अंकन करवाने के लिए कानून मुश्तहक है,रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन न होने से आये दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित तथ्यों के अंकित भूमि के गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी एव दावेदार है। रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार चक नं. 3 एमएसटीएसएम खाता संख्या 61 के प.नं.186/339 मु.नं. 30 कि.नं. 2/.015,9/.015,12/.015,17/.006,18/.015,19/.014, कुल 0.080 है. संयुक्त खाते में दर्ज है यही रकबा रास्ता के काम में ले रहे है व चालू है। उपरोक्त रास्ता में से खेतों में आ जा रहे है। सहमति से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। इसी रास्ते से खेतों में आने–जाने में सुविधा है। रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यकता है। रिपोर्ट पर सभी पक्षकारों के सहमति के हस्ताक्षर करवाये गये है। कोई रकम विनिश्चित नहीं करना चाहते है। स्वीकृत होने वाले रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। रिपोर्ट अनुसार रास्ता की आवश्यकता है।

Scanned by CamScanner

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया,मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है,रास्ता की मांग सुविधा के लिये नहीं की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते है। मुताबिक रिपोर्ट मौके पर रास्ता चल रहा है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नं. 3 एमएसटीएसएम में जाने हेतु रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए** है। अतः न्यायहित में सहमति के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में प्रार्थीगण चक नं. 3 एमएसटीएसएम खाता संख्या 61 के प.नं.186/339 मु.नं. 30 कि.नं. 2/.015,9/.015,12/.015,17/.006,18/.015,19/.014, कुल 0.080 है.संयुक्त खाते में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उपर्युक्तानुसार स्वीकृत रास्ता के रकबा का राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 31.5.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान ग्राम पंचायत डबली खुर्द में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर,टिब्बी

Scanned by CamScanner